DHC-II Jaipur

(1)

संगठित समाज

उन्नत राष्ट्र

पंजीकरण नं. महा/626/17/ठाणे

गौड़ सनाढ्य फाउण्डेशन, राजस्थान

(करोड़ों समाज बन्धुओं का वैश्विक संगठन)

दिनांक - 29-7-2021

क्रमांक - 27/2021

सेवा में,
श्रीमान आयुक्त महोदय,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय– जयपुर में विप्र प्रज्ञा चेतना केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि का आंवटन न्यूनतम रियायती दरों पर करने हेतु प्रार्थना पत्र।

मान्यवर,

गौड़ सनाढ्य फांउण्डेशन पूरे भारतवर्ष में निवास करने वाले करोड़ो गौड़ सनाढ्य वंशज ब्राह्मणों का प्रतिनिधी संगठन है जिसकी वर्तमान में 18 राज्यों में सक्रिय इकाईया समाज सेवा एवं समाज कल्याण के कार्य विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से कर रही है, जिसमें प्रमुखता से विप्र युवा वर्ग में वैदिक शिक्षा, ज्योतिष एवं विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन का कार्य हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा हैं।

मान्यवर, राजस्थान में कुल ब्राह्मण आबादी का 70 प्रतिशत गौड़ सनाढ्य वंशज ब्राह्मण हैं जो कि राज्य के सभी जिलो में निवास करते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रकिया में सक्रिय साझेदारी निभा रहें हैं।

विगत कुछ समय से समाज के स्तर पर ये चिंतन किया जा रहा है कि राजधानी जयपुर में एक आधुनिक सुविधायुक्त केंद्र की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से समाज के युवा वर्ग को हमारी प्राचीन परंपराओं एवं शास्त्रों मे वर्णित सूत्रों को वर्तमान विज्ञान के साथ तार्किक स्तर पर समझाया जा सके।

For The Gaud Sanadhya Foundation

State President

9414071845

पंजीकृत कार्यालय : 17, ग्राउण्ड फ्लोर, एशियन ऑर्किड, पोकारण रोड नं. 1, वर्तक नगर, ठाणे (महाराष्ट्र) 400606
मुख्य कार्यालय : 301-303, पिंकसिटी टॉवर, पीतल फैक्ट्री के पास, झोटवाड़ा रोड, जयपुर 302016 (राजस्थान) ईमेल : gaudsanadhyafoundation.com टेलि.नं. 0141-5102294
• राजस्थान • हरियाणा • उत्तरप्रदेश • मध्यप्रदेश • छत्तीसगढ़ • पंजाब • महाराष्ट्र • गुजरात • दिल्ली • आंध्रप्रदेश 9001096148
• झारखंड • उड़ीसा • कोलकाता • पश्चिम बंगाल • असम • नागालैण्ड • उत्तराखण्ड • हिमाचलप्रदेश • बिहार • केरल • कर्नाटक • तमिलनाडु

संगठित समाज उन्नत राष्ट्र

(2)

पंजीकरण नं. महा/626/17/ठाणे

गौड़ सनाढ्य फाउण्डेशन, राजस्थान

जैसा कि मान्यवर को विदित होगा कि हमारी अष्टाध्यायी के सूत्र आधुनिक विज्ञान के मानदंडो से कहीं आगे है और ये संपूर्ण भारतीय समाज के लिए गौरव का विषय है, परंतु दुर्भाग्यवश हमारी युवा पीढी इस ज्ञान से वंचित है।

हमारी संस्था इसी पावन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जयपुर में "विप्र प्रज्ञा चेतना केन्द्र" की स्थापना करना चाहती है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि भी हमारे समाज बंधु व्यय करने के लिए तैयार है।

अतः मान्यवर आपसे निवेदन है कि इस प्रनित संकल्प की पूर्ति के लिए आवश्यक 3000 वर्ग मीटर भूमि का आंवटन मानसरोवर क्षेत्र में आपके अधिकार की भूमि से न्यूनतम रियायती दरों पर आंवटित करने की कृपा कर कृतार्थ करें।

भवदीय!

वास्ते गौड सनाढ्य फाउण्डेशन The Gaud Sanadhaya Foundation

देवी शंकर शर्मा देवी शंकर शर्मा

(देवी शंकर शर्मा) 9001096148 State President

प्रदेशाध्यक्ष 9414071845

संलग्न–

1. संस्था के प्रमाणित संविधान की फोटोप्रति
2. संस्था के पंजीकरण के पत्र की फोटोप्रति
3. तीन वित्तीय वर्षो की अंकेक्षित बैलेंस शीट

पंजीकृत कार्यालय : 17, ग्राउण्ड फ्लोर, एशियन ऑर्किड, पोकरण रोड नं. 1, वर्तक नगर, ठाणे (महाराष्ट्र)-400606
मुख्य कार्यालय : 301-303, पिंकसिटी टॉवर, पीतल फैक्ट्री के पास, झोटवाड़ा रोड, जयपुर-302016 (राजस्थान) ईमेल : gaudsanadhyafoundation.com टेलि.नं. 0141-5102294
• राजस्थान • हरियाणा • उत्तरप्रदेश • मध्यप्रदेश • छत्तीसगढ़ • पंजाब • महाराष्ट्र • गुजरात • दिल्ली • आंध्रप्रदेश
• झारखंड • उड़ीसा • कोलकाता • पश्चिम बंगाल • असम • नागालैण्ड • उत्तराखण्ड • हिमाचलप्रदेश • बिहार • केरल • कर्नाटक • तमिलनाडु

(3) प्रपत्र–अ

चैरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं / संगठनों / सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1–	संस्था / संगठन का नाम	गौड़ सनाढ्य फाउन्डेशन राजस्थान
2–	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	डी शंकर शर्मा
3–	डाक पता, टेलीफोन नं. मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी	A-37-A- मुकेर नगर विस्तार न्यू सांगानेर रोड, जयपुर 9001096148
4–	भूमि आवंटन का उद्देश्य	सामुदायिक केन्द्र/भवन (जन सुविधा चेतना केन्द्र स्थापित)
5–	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	3000 वर्ग मीटर भूमि
6–	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	3000 वर्ग मीटर
7–	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	संलग्न
8–	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	-कोई नहीं-
9–	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i– रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न
	ii– बाईलॉज / रेग्युलेशन	संलग्न
	iii– गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	संलग्न
	iv– संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न
	v– प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न
	vi– रू. 5900/– (पांच हजार नो सौ रूपये) का बैंक का डी.डी./पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 3-8-2021

स्थान : जयपुर

नाम व पद डी शंकर शर्मा प्रदेश अध्यक्ष

For The Gaud Sanadhaya Foundation

डी शंकर शर्मा

State President

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति–2015

D/DRB/Letter

(५)

परिशिष्ट–1

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	गौड ब्राह्मण फाउण्डेशन राजस्थान
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	ग्राम मनोहर [illegible]
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	ग्राम मनोहर [illegible]
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	25-3-2017 प्रति संलग्न
संस्था का गत तीन वर्ष का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न
सबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	समाज व राष्ट्र हित में सांस्कृतिक निरन्तर के आधार के कार्य
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	संलग्न

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं सामुदायिक केन्द्र पेंशनर विश्रामघर

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	वेद संस्कृति का व्यवहारिक विकास एवं आध्य शिक्षण युवा, महिला व सर्व समाज को
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	~~वेद विज्ञान अध्ययन केन्द्र एवं अनुसंधान व्यवस्था हेतु~~
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम,, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं। हरीश शर्मा
स्वंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	नगर निगम (आवासन मंडल के अधीन)
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	संलग्न
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार /अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नहीं - स्वयं के निजी सदस्यों द्वारा
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	विप्र प्रज्ञा चेतना केन्द्र की स्थापना
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के सम्बन्ध में विवरण	सामुदायिक केन्द्र पेंशनर विश्रामघर
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा की जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	हरीश शर्मा
आवटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

D/DRB/Letter

हस्ताक्षर

[illegible] हरीश शर्मा

(5)

विभाग [illegible]

नोंदणी प्रमाणपत्र

संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०

[illegible] अधिनियम [illegible]

[illegible] क्रमांक [illegible] /2020

[illegible] [illegible]adhya Foundation

[illegible]

Vartak Nagar, Thane

[illegible] अधिनियम [illegible] या अधिनियम [illegible] अन्वये [illegible] नोंदणी

[illegible] आली

तारीख : 28/03/2020 [illegible] रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.

संस्थांचे सहायक निबंधक,
~~[illegible] संस्था~~ निबंधक [illegible]
ठाणे प्रदेश, ठाणे.

For The Gaud Sanadhaya Foundation

State President

63 (63) उन्नत राष्ट्र

पंजीकरण नं. महा/626/17/ठाणे

गौड़ सनाढ्य फाउण्डेशन, राजस्थान

(करोड़ों समाज बन्धुओं का वैश्विक संगठन)

CEM

3/12/21

आवासन आयुक्त महोदय,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय: गौड़ सनाढ्य फाउण्डेशन, राजस्थान को विप्र प्रज्ञा चेतना केन्द्र के स्थान पर सामुदायिक केन्द्र तथा पेंशनरों के लिए विश्रामघर हेतु 3000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन न्यूनतम रियायती दरों पर करने हेतु प्रार्थना पत्र।

मान्यवर,

निवेदन है कि गौड़ सनाढ्य फांउण्डेशन द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जयपुर में विप्र प्रज्ञा चेतना केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन न्यूनतम रियायती दरों पर करने हेतु आवेदन किया गया था।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि विप्र प्रज्ञा चेतना केन्द्र के स्थान पर हमारी संस्था को सामुदायिक केन्द्र तथा पेंशनरों के लिए विश्रामघर हेतु 3000 वर्ग मीटर भूमि न्यूनतम रियायती दर पर आवंटन कराने का श्रम करावें।

भवदीय

देवी शंकर शर्मा

(देवी शंकर शर्मा)
प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान

पंजीकृत कार्यालय : 17, ग्राउण्ड फ्लोर, प्रशियन आर्किड, पोकरण रोड नं. 1, वर्तक नगर, ठाणे (महाराष्ट्र)-400606
..., सिकंदरी टॉवर, पीतल फैक्ट्री के पास, झोटवाड़ा रोड, जयपुर-302016 (राजस्थान) ईमेल : gaudsanadhyafoundation.com टेलि.नं. 0141-5102294
• राजस्थान • हरियाणा • उत्तरप्रदेश • मध्यप्रदेश • छत्तीसगढ़ • पंजाब • महाराष्ट्र • गुजरात • दिल्ली • आंध्रप्रदेश • बिहार • केरल • कर्नाटक • तमिलनाडु
• झारखंड • उड़ीसा • कोलकाता • पश्चिम बंगाल • असम • नागालैण्ड • उत्तराखण्ड • हिमाचलप्रदेश